वकील उभयपक्ष उप० [illegible]

वकील उभयपक्ष उप० हुई। अवलोकन हेतु उभयपक्ष ने अवगत जाना चाहा। वास्ते पेश होने आपत्ति उर्इजात रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 13/5/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

[illegible]5/24	वकील उभयपक्ष ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 16/5/24 को पेश हो। प्रस्तुतकार
16/5/24	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक [illegible] रखा / P.O. साहब अन्य प्र[illegible] कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 20/5/24 को पेश हो (रीडर)
20/5/24	वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष ने उर्इजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सहमति जाहिर की। सुना गया। पत्रावली व उर्इजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्ष उर्इजात रिपोर्ट से सहमत है अतः दावा अन्तिम डिक्री उर्इजात रिपोर्ट अनुसार किया जाता है। फैसला पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसला शा० पत्रावली हो। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो व दर्ज रजिस्टर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-[illegible])

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 125/2016, पुनः दर्ज 88/2019

उनवान

1. कन्हैयालाल (फौत)

   1/1 श्रीमती मगनी देवी पत्नी कन्हैयालाल

   1/2 कैलाश चन्द

   1/3 बाबूलाल पिसरान कन्हैयालाल

2. दुर्गासहाय

3. हनुमान सहाय

4. बनवारी

   पिसरान भौंरीलाल

5. सुरेश कुमार दत्तक पुत्र महादेव

   समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम भीखावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

6. ओमकार (फौत)

   6/1 श्रीमती पूरण पुत्री ओमकार पत्नी रामचरण ब्राह्मण नि0 बडनगर तह0 कोटपूतली

   6/2 श्रीमती उम्मेद पुत्री ओमकार पत्नी महेश कुमार जाति ब्राह्मण नि0 चन्दवाजी हाल निवासी भीखावाला तहसील शाहपुरा

   6/3 श्रीमती शान्ति बेवा ओमकार जाति ब्राह्मण निवासी भिखावाला तह0 शाहपुरा।

— वादीगण

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र भंवरलाल
2. सत्यनारायण पुत्र रामनिवास
3. मु0 प्रभाती बेवा रामनिवास
4. मोहन लाल पुत्र बद्रीनारायण
5. रामस्वरूप पुत्र किशन सहाय
6. मु0 सरजू बेवा किशनसहाय
7. सुरेश कुमार पुत्र जगदीश
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल
9. मु0 बरजी बेवा कन्हैयालाल
10. मालीराम
11. कन्हैयालाल
12. महेश नारायण

    पुत्रान जयनारायण

13. मु0 सोनी बेवा जयनारायण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

14. तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर , राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट — 1955

निर्णय दिनांक :— 29/5/24

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 6854/0.95, 6855/0.80, 6901/1.84, 6807/0.12, 6808/0.26, 6821/0.51, 6822/0.52, 6823/0.57, 6831/0.59, 6843/0.47, 6851/0.47, 6905/1.00, 6825/0.20, 6826/0.29, 6815/0.40, 6835/0.06, 6844/0.17 कुल किता 17 रकबा 9.13 है0 वाके ग्राम मीरवावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 है। उक्त वर्णित भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। लगान राज में मांग के अनुसार जमा कराते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 एक ही परिवार खानदान के व्यक्ति है । साबिक भू-प्रबन्ध के समय भू-प्रबन्ध कर्मचारियों/अधिकारियों ने गलती से राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा नंबर 6835, 6844, 6815, की साबिक जमाबंदी में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पूर्वजों का अकेले का ही नाम अंकित कर दिया। इनमें वादीगण का भी हिस्सा जिमन नंबर 5 के अनुसार है। प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 9 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, वादी संख्या 5 ने अपने हिस्सा की भूमि में से भूमि विक्रय की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 एवं इनके पूर्वज भूमि मुतदाविया को अर्सा 35 वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से भूमि के उपजाउपन पैदावार बाजार मूल्य के अनुसार बंटवारा कर काश्त करते आ रहे है। मुताबिक बंटवारा पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार भूमि है :—

क्रमांक	नाम खातेदार काश्तकार	बंटवारा में प्राप्त भूमि	
		ख0नं0	रकबा
1	कन्हैयालाल वादी संख्या 1	6843	0.25
		6905	0.42
		6825	0.20
		6815	0.10
			0.97
2	दुर्गा सहाय वादी संख्या 2	6807	0.12
		6851	0.35
			0.47
3	हनुमान सहाय वादी संख्या 3	6855	0.45
		6854	0.10
			0.55
4	बनवारी लाल वादी संख्या 4	6831	0.39
		6822	0.26
		6843	0.16
		6851	0.12

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

		6905	0.29
			1.22
5	सुरेश कुमार वादी संख्या 5	6822	0.26
		6831	0.20
		6843	0.06
		6905	0.29
			0.81
6	ओंकार वादी संख्या 6	6823	0.57
		6815	0.10
			0.67
7	भगवान सहाय, बरंगलाल दक्षिणी प्रतिवादी संख्या 1, भाग अनेक्जर	6855	0.35
8	सत्यनारायण प्रति संख्या 2 मु0 प्रभाती	6821	0.51
	प्रतिवादी संख्या 3	6808	0.26
		6826	0.20
			0.97
9	मोहन लाल प्रतिवादी संख्या 4	6815	0.10
10	रामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 5 मु0 सरजू प्रतिवादी संख्या 6	6815	0.10
11	सुरेश कुमार प्रतिवादी संख्या 7	6854	0.85
	राजेन्द्र कुमार प्रतिवादी संख्या 8	6901	1.84
	मु0 बरजी प्रति0सं0 9		
	मु0 बरजी ने भगवान सहाय प्रति0सं0 1 ख0नं0 6855 का रकबा 0.35 है0 भूमि बरज लाल अनेक्जर खरीदी है।	2.69+0.35 = 3.04 है0	
12	कन्हैयालाल वादी 1	6835	0.06
	दुर्गासहाय वादी 2	6844	0.17
	हनुमान वादी संख्या 3		0.23

बनवारी वादी संख्या 4, 5/36 भगवान सहाय प्रतिवादी संख्या 1, सुरेश वादी संख्या 5, 1/36, सत्यनारायण प्रति0 संख्या 2, मु0 प्रभाती प्रतिवादी सं0 3, मालीराम प्रति0 सं0 10, कन्हैयालाल प्रति0 11, 1/2, महेशनारायण प्रति0 12, मु0 सोनी प्रति0 13 है।

रामनिवास जयनारायण का स्वर्गवास हो गया है। रामनिवास के वारिसान प्रति0 संख्या 5 व 6 है तथा जयनारायण के वारिसान प्रति0 संख्या 10 लगा0 13 है। वादीगण को अधिकार है कि अपनी खातेदारी भूमि का विधिक बंटवारा करावे एवं मुताबिक बंटवारा तथा

सहायक कलक्टर
(जिला-…) …

खसरा नंबरान 6835, 6844, 6815 आदि में अपने खातेदारी हकों की अपने पक्ष में खातेदारी हकों की घोषणा करा सकें। वादीगण द्वारा उपरोक्तानुसार भूमि अपने अपने नाम कराने के लिए प्रतिवादीगण को कहने पर पहले तो हमेशा हा करते रहे परन्तु अब दिनांक 22.07.2002 को साफ तौर पर इन्कार हो गये है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के नाम भूमि कराने एवं बंटवारा कराने इन्कार होने से वाद कारण पैदा होकर दावा अन्दर मियाद है।

अन्त में निवेदन किया कि वादीगण प्रार्थी है कि जिमन नंबर 5 वाद पत्र के अनुसार विधिक बंटवारा किया जाकर इसी अनुसार खातेदारी हकों की पक्षकारान के पक्ष में घोषणा फरमायी जावे अलग अलग लगान कायम कराया जाकर आदेश डिक्री फरमाया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 9 की ओर से अधिवक्ता श्री कान्ती चन्द शर्मा ने अण्डरटेकिंग दी। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 6 एवं 10 लगा0 14 के विरूद्ध बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता श्री मातादीन शर्मा ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई एवं न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जवाब व अपना पक्ष रखने हेतु कोस्ट पर प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध अमल में लायी गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 7 लगा0 9 की ओर से प्रकरण में जवाब दावा पेश हुआ। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। प्रकरण में साक्ष्यवादी में गवाह ओमप्रकाश, रामधेश्याम के बयान पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 लेखबद्ध किये गये। पीडब्ल्यू–3 से जिरह पूरी हुई। साक्ष्यवादी बंद की गई। प्रकरण में दिनांक 06.09.2004 को उभयपक्ष ने लोक अदालत की भावना से राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्राथमिक डिकी हेतु सहमति जाहिर की। तदानुसार दावा प्राथमिक डिकी किया गया एवं तसहीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। वकील वादी द्वारा प्रकरण में प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया गया। प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर वकील वादी ने प्रा0पत्र आपत्ति बंटवारा रिपोर्ट पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब वकील प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र आपत्ति बाबत् बंटवारा रिपोर्ट पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत बंटवारा रिपोर्ट नियमानुसार नहीं होने के कारण खारिज की गई एवं तहसीलदार शाहपुरा को पुनः मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी नियमों के प्रावधानों के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र आपत्ति बंटवारा रिपोर्ट पेश किया

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

गया। उभयपक्ष ने सहमति से पुनः प्राथमिक डिकी हेतु कुर्रेजात मंगवाये जाने की मंशा जाहिर की। प्रकरण में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया। प्रकरण में काफी समय से तहसीलदार शाहपुरा से पत्राचार करने के उपरांत भी बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील उभयपक्ष ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस की। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट देखने से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी की जमीन अन्य सहखातेदारों के साथ सामूहिक रूप से रखी गई है। अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को निरस्त किया जाकर तहसीलदार को इस निर्देश के साथ की वादी के अलग–2 खसरा नंबर दिये जाकर पुनः रिपोर्ट प्रेषित की जावे। इस आशय का तहसीलदार शाहपुरा को पत्र किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/2306 दिनांक 08.05.2024 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत उभयपक्ष ने बंटवारा प्रस्ताव सही होने से बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्ष प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिकी किये जाने हेतु सहमत है। अतः बंटवारा रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सही प्रतीत होने से एवं उभयपक्ष उक्त विभाजन से सहमत होने से दावा अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) सत्यमेव जयते

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 6854/0.95, 6855/0.80, 6901/1.84, 6807/0.12, 6808/0.26, 6821/0.51, 6822/0.52, 6823/0.57, 6831/0.59, 6843/0.47, 6851/0.47, 6905/1.00, 6825/0.20, 6826/0.20, 6815/0.40, 6835/0.06, 6844/0.17 कुल किता 17 रकबा 9.13 है0 वाकै ग्राम भीखावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. ग्यारसी पत्नी भंवरसिंह हि0 2245/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, प्रभाती पुत्री कन्हैयालाल हि0 560/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, बंशीधर पुत्र कन्हैयालाल हि0 560/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, भंवरसिंह पुत्र कन्हैयालाल हि0 560/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, रतनलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 560/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल हि0 18515/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, शांति पत्नी रमेशकुमार हि0 2245/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, संतोष देवी पुत्री कन्हैयालाल हि0 560/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, सुरेश पुत्र जगदीश हि0 1/4 जाति जाट

सहायक कलक्टर

सा0 देह खातेदार, सीताराम पुत्र कन्हैयालाल हि0 560/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार, हरिलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 560/35900 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6584 रकबा 0.9500 है0, 6855 रकबा 0.8000 है0 6901 रकबा 1.8400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.5900 है0 भूमि रहेगी।

2. अन्नपूर्णा पुत्री ओमकार हि0 700/3233 ब्रा0 सा0 देह खातेदार, उम्मेद पुत्री ओमकार हि0 700/3233 ब्रा0 सा0 देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. बैंक शाहपुरा, शांति देवी पत्नी ओमकार हि0 700/3233 ब्रा0 सा0 देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. बैंक शाहपुरा, ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण हि0 189/3233 ब्रा0 नि0 सेवा की ढाणी निमेड़ा तह0 श्रीमाधोपुर, कालूराम पुत्र रामनारायण हि0 189/3233 ब्रा0 नि0 सेवा की ढाणी निमेड़ा तह0 श्रीमाधोपुर, सुरज्ञान पत्नी रमेशचन्द हि0 755/3233 ब्रा0 सा0 रतनपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6823/2/1 रकबा 0.2100 है0, 6823/3/1 रकबा 0.1133 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3233 है0 भूमि रहेगी।

3. लीला कुड़ी पत्नी मोहन चौधरी हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 बी 2 गौतम पथ, रामनगर, सोडाला जयपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6821/2 रकबा 0.1900 है0, 6821/3 रकबा 0.1000 है0, 6822/2/1 रकबा 0.0222 है0, 6822/3/1 रकबा 0.0111 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.3233 है0 भूमि रहेगी।

4. अर्जुन पुत्र मूलचन्द हि0 808/2426 जाट सा0 जयचन्दपुरा, बनवारीलाल पुत्र भौंरीलाल हि0 1618/2426 ब्रा0 सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6822/2/2 रकबा 0.1553 है0, 6822/3/2 रकबा 0.0873 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2426 है0 भूमि रहेगी।

5. मंगेश पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत हि0 1/2 नि0 जगदम्बा कॉलोनी , ढहर का बालाजी, सीकर रोड जयपुर, कर्मवीर सिंह पुत्र मानासिंह जाति अहीर हि0 1/2 नि0 ठाठर कॉलोनी आमेर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6823/2/2 रकबा 0.0100 है0, 6823/3/2 रकबा 0.0067 है0, 6822/2/3 रकबा 0.0425 है0, 6822/3/3 रकबा 0.0216 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.0808 है0 भूमि रहेगी।

6. कमली देवी पत्नी गिरधारी लाल जाति जाट हि0 पूर्ण सा0 देह खातेदार राहिन आर.एम.जी.बी. मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6905/1 रकबा 0.1225 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1225 है0 भूमि रहेगी।

7. गोपाल पुत्र दुर्गासहाय जाति पुरोहित (ब्रा0) हि0 पूर्ण सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6851/2 रकबा 0.3675 है0 भूमि रहेगी।

8. बनवारीलाल पुत्र भौंरीलाल जाति ब्रा0 हि0 पूर्ण सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6851/1 रकबा 0.1025 है0, 6905/5 रकबा 0.1425 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2450 है0 भूमि रहेगी।

9. सुरेश कुमार दत्तक पुत्र महादेव जाति ब्रा0 राहिन पी.एन.बी. शाखा गठवाड़ी के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6905/4 रकबा 0.3675 है0 भूमि रहेगी ।

10. बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति पुरोहित सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6905/3 रकबा 0.2450 है0 भूमि रहेगी।

11. कैलाश पुत्र कन्हैयालाल जाति पूरोहित सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6905/2 रकबा 0.1225 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

12. बनवारीलाल पुत्र भौंरीलाल जाति ब्रा0 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोहरपुर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6843/2 रकबा 0.1168 है0, 6831/1 रकबा 0.4132 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5300 है0 भूमि रहेगी।
13. भगवान सहाय पुत्र भौंरीलाल जाति पूरोहित के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6843/1 रकबा 0.1766 है0 भूमि रहेगी।
14. कैलाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/3 जाति पूरोहित सा0 देह, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/3 जाति पूरोहित सा0 देह, पपली पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/3 जाति पूरोहित सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6843/3 रकबा 0.1766 है0 भूमि रहेगी।
15. सुरेश कुमार पुत्र महादेव जाति पूरोहित, राहिन पी.एन.बी. शाखा गठवाडी के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6831/2 रकबा 0.1768 है0 भूमि रहेगी।
16. गोपाल पारीक पुत्र सत्यनारायण हि0 1/2 पूरोहित सा0 देह, गोविन्द पारीक पुत्र सत्यनारायण हि0 1/2 पूरोहित सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6826 रकबा 0.2000 है0 भूमि रहेगी।
17. कैलाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/8 जाति पूरोहित, पपली पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/8 जाति पूरोहित, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/8 जाति पूरोहित, भगवान सहाय पुत्र भौंरीलाल हि0 1/6 जाति पूरोहित, बनवारीलाल पुत्र भौंरीलाल हि0 1/6 जाति पूरोहित राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर, गोपाल पुत्र दुर्गासहाय हि0 1/6 जाति पूरोहित, सुरेश कुमार पुत्र महादेव हि0 1/6 जाति पूरोहित राहिन पी.एन.बी. शाखा गठवाडी, हनुमानसहाय पुत्र भौंरीलाल हि0 1/6 जाति पूरोहित के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6825 रकबा 0.2000 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.2000 है0 भूमि रहेगी।
18. कन्हैयालाल पुत्र जयनारायण हि0 1/6 जाति ब्रा0, महेश कुमार पुत्र जयनारायण हि0 1/6 जाति ब्रा0, भरपाई देवी पत्नी मालीराम हि0 1/18 ब्रा0, योगेश पुत्र मालीराम हि0 1/18 ब्रा0, रेखा पुत्री मालीराम हि0 1/18 ब्रा0, रामनिवास पुत्र रामस्वरूप हि0 1/2 ब्रा0 के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6835 रकबा 0.0600 है0, 6844 रकबा 0.1700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2300 है0 भूमि रहेगी।
19. ओमप्रकाश पारीक पुत्र हनुमान सहाय ब्रा0 हि0 20/139, गजानन्द पुत्र मदनलाल हि0 1/12 ब्रा0 राहिन पी.एन.बी. शाखा मनोहरपुर, गोपाल पारीक पुत्र सत्यनारायण पारीक ब्रा0 हि0 49/834, गोविन्द पारीक पुत्र सत्यनारायण पारी ब्रा0 हि0 49/834, घनश्याम पुत्र मदनलाल हि0 1/12 ब्रा0 राहिन एस.बी.आई. शाखा मनोहरपुर, पुरूषोत्तम पुत्र भंवरलाल हि0 1/6 ब्रा0, मोहनलाल पुत्र ब्रदीनारायण हि0 1/3 ब्रा0, शांति देवी पत्नी ओमकार हि0 10/139 ब्रा0 के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6811 रकबा 0.3900 है0, 6814 रकबा 0.6000 है0, 6815 रकबा 0.4000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3900 है0 भूमि रहेगी।
20. हाल जमाबंदी के खाता संख्या 119 के ख0 नं0 6807/0.1200, 6808/0.2600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3800 है0 मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा।

- विशेष निर्देश :– प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकार सहमत है व सहमति उपरांत दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया है परन्तु कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि खाता संख्या 142 ग्राम भीखावाला में कैलाश, बाबूलाल पि0 कन्हैयालाल ब्राह्मण हि0 1/24, बनवारीलाल

सहायक कलक्टर

पुत्र भौरीलाल ब्राह्मण हि0 1/24, गोपाल पुत्र दुर्गासहाय हि0 1/24, सुरेश दत्तक पुत्र महादेव ब्राह्मण हि0 1/24 उक्त खाते में प्रार्थीयों का हिस्सा 1/6 बनता है, ग्यारसी पत्नी भंवरसिंह हि0 1/48, प्रभाती देवी पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/192, बंशीधर, भंवरसिंह, रतनलाल, राजेन्द्र कुमार, सीताराम, हरिलाल पि0 कन्हैयालाल हि0 6/192, संतोषी देवी पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/192, शान्ति पत्नी रमेश कुमार हि0 1/48 उक्त खातेदारान् के हिस्से में 0.5983 है0 भूमि हिस्से से अधिक है। खाता संख्या 119 ग्राम भीखावाला हाल जमाबंदी के अनुसार यथावत रहेगा। खाता संख्या 118 में अन्नपूर्णा, उम्मेद पुत्रीयान ओमकार, शान्ति देवी पत्नी ओमकार के नाम 0.21 है0 भूमि है परन्तु इसका कब्जा खाता संख्या 6 की भूमि पर है, खाता संख्या 6 में इनके हिस्से में 0.21 है0 भूमि तकासमें में अधिक आई है। खाता संख्या 138, 140, 104, 94 जमाबंदी अनुसार यथावत रहेगा।

- ग्यारसी देवी पत्नी भंवरसिंह हि0 1/12, बंशीधर, भंवरसिंह, रतनलाल, राजेन्द्र कुमार, सीताराम, हरिलाल पि0 कन्हैयालाल, प्रभाती देवी, सन्तोष देवी पुत्रीया कन्हैयालाल हि0 8/48, शान्ति पत्नी रमेश कुमार हि0 1/12 जाति जाट इनका सबका हि0 3/16 हो गया जिनके हिस्से में 0.49 है0 भूमि आती है, जिसके बदले खाता संख्या 142 में 0.49 है0 भूमि अधिक दी गई। सुरेश कुमार दत्तक पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण को 0.1225 है0 भूमि हिस्से से अधिक दी गई। बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण को 0.1225 है0 भूमि अधिक दी गई। गोपाल पुत्र दुर्गासहाय जाति ब्राह्मण एवं कैलाश पुत्र कन्हैयालाल को कमश : 0.1225, 0.1225 भूमि अधिक दी गई।

उक्त निर्णय का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद संबंधित पक्षकारान् के हिस्से में आई हिस्से से अधिक भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क डीएलसी दर अनुसार संबंधित पक्षकार से राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत किया जाना है।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20/5/2024 को सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 125/2016, पुनः दर्ज 88/2019

उनवान

1. कन्हैयालाल (फौत)
   1/1 श्रीमती मगनी देवी पत्नी कन्हैयालाल
   1/2 कैलाश चन्द
   1/3 बाबूलाल पिसरान कन्हैयालाल
2. दुर्गासहाय
3. हनुमान सहाय
4. बनवारी
   पिसरान भौंरीलाल
5. सुरेश कुमार दत्तक पुत्र महादेव
   समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम भीखावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।
6. ओमकार (फौत)
   6/1 श्रीमती पूरण पुत्री ओमकार पत्नी रामचरण ब्राह्मण नि0 बडनगर तह0 कोटपूतली
   6/2 श्रीमती उम्मेद पुत्री ओमकार पत्नी महेश कुमार जाति ब्राह्मण नि0 चन्दवाजी हाल निवासी भीखावाला तहसील शाहपुरा
   6/3 श्रीमती शान्ति बेवा ओमकार जाति ब्राह्मण निवासी भिखावाला तह0 शाहपुरा।

– वादीगण

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र भंवरलाल
2. सत्यनारायण पुत्र रामनिवास
3. मु0 प्रभाती बेवा रामनिवास
4. मोहन लाल पुत्र बद्रीनारायण
5. रामस्वरूप पुत्र किशन सहाय
6. मु0 सरजू बेवा किशनसहाय
7. सुरेश कुमार पुत्र जगदीश
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल
9. मु0 बरजी बेवा कन्हैयालाल
10. मालीराम
11. कन्हैयालाल
12. महेश नारायण
    पुत्रान जयनारायण
13. मु0 सोनी बेवा जयनारायण

सहायक कलक्टर

14. तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर , राज०।

अप्रार्थीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :- 24/8/24

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 6854/0.95, 6855/0.80, 6901/1.84, 6807/0.12, 6808/0.26, 6821/0.51, 6822/0.52, 6823/0.57, 6831/0.59, 6843/0.47, 6851/0.47, 6905/1.00, 6825/0.20, 6826/0.20, 6815/0.40, 6835/0.06, 6844/0.17 कुल किता 17 रकबा 9.13 है० वाके ग्राम सीरवाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

- प्यारसी पत्नी भंवरसिंह हि० 2245/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, प्रभाती पुत्री कन्हैयालाल हि० 560/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, बंशीधर पुत्र कन्हैयालाल हि० 560/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, भंवरसिंह पुत्र कन्हैयालाल हि० 560/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, रतनलाल पुत्र कन्हैयालाल हि० 560/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल हि० 18515/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, शांति पत्नी रमेशकुमार हि० 2245/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, संतोष देवी पुत्री कन्हैयालाल हि० 560/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, सुरेश पुत्र जगदीश हि० 1/4 जाति जाट सा० देह खातेदार, सीताराम पुत्र कन्हैयालाल हि० 560/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार, हरिलाल पुत्र कन्हैयालाल हि० 560/35900 जाति जाट सा० देह खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 6584 रकबा 0.9500 है0, 6855 रकबा 0.8000 है0 6901 रकबा 1.8400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.5900 है0 भूमि रहेगी।
- अन्नपूर्णा पुत्री ओमकार हि० 700/3233 ब्रा० सा० देह खातेदार, उम्मेद पुत्री ओमकार हि० 700/3233 ब्रा० सा० देह खातेदार रहिन एस.बी.आई. बैंक शाहपुरा, शांति देवी पत्नी ओमकार हि० 700/3233 ब्रा० सा० देह खातेदार रहिन एस.बी.आई. बैंक शाहपुरा, ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण हि० 189/3233 ब्रा० नि० सेवा की ढाणी निमेड़ा तह० श्रीमाधोपुर, कालूराम पुत्र रामनारायण हि० 189/3233 ब्रा० नि० सेवा की ढाणी निमेड़ा तह० श्रीमाधोपुर, सुरज्ञान पत्नी रमेशचन्द हि० 755/3233 ब्रा० सा० रतनपुरा के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 6823/2/1 रकबा 0.2100 है0, 6823/3/1 रकबा 0.1133 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3233 है0 भूमि रहेगी।
- लीला कुड़ी पत्नी मोहन चौधरी हि० पूर्ण जाति जाट सा० बी 2 गौतम पथ, रामनगर, सोडाला जयपुर के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 6821/2 रकबा 0.1900 है0, 6821/3 रकबा 0.1000 है0, 6822/2/1 रकबा 0.0222 है0, 6822/3/1 रकबा 0.0111 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.3233 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

[illegible] हि0 [illegible] साकिन कमलापुरा, बनवारीलाल पुत्र श्रीकिशन [illegible] साकिन देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6822/1/2 रकबा [illegible] हे0, 6854/1/2 रकबा 0.0873 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2426 हे0 भूमि रहेगी।

- अनिता पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत हि0 1/2 नि0 [illegible], [illegible] बालाजी [illegible] राजपूत कर्णसिंह पुत्र [illegible] जाति [illegible] हि0 1/2 नि0 [illegible] के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6822/2/2 रकबा 0.0100 हे0, 6854/1/2 रकबा 0.0067 हे0, 6854/2/2 रकबा 0.0626 हे0, 6822/3/2 रकबा 0.0518 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1808 हे0 भूमि रहेगी।
- [illegible] पत्नी गिरधारी लाल जाति जाट हि0 पूर्ण सा0 देह [illegible] रहिन आर.एस.जी.बी. मनोहरपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6806/1 रकबा 0.1225 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1225 हे0 भूमि रहेगी।
- गोपाल पुत्र पूर्णमल जाति पुरोहित (ब्रा0) हि0 पूर्ण सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6851/2 रकबा 0.3675 हे0 भूमि रहेगी।
- बनवारीलाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्रा0 हि0 पूर्ण सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6851/1 रकबा 0.1025 हे0, 6806/5 रकबा 0.1425 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2450 हे0 भूमि रहेगी।
- सुरेश कुमार शर्मा पुत्र महादेव जाति ब्रा0 रहिन पी.एन.बी. शाखा गढवाडी के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6806/4 रकबा 0.3675 हे0 भूमि रहेगी ।
- बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति पुरोहित सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6806/3 रकबा 0.2450 हे0 भूमि रहेगी।
- कैलाश पुत्र कन्हैयालाल जाति पुरोहित सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6806/2 रकबा 0.1225 हे0 भूमि रहेगी।
- बनवारीलाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्रा0 रहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोहरपुर सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6843/2 रकबा 0.1168 हे0, 6831/1 रकबा 0.4132 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5300 हे0 भूमि रहेगी।
- भगवान सहाय पुत्र श्रीकिशन जाति पुरोहित के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6843/1 रकबा 0.1766 हे0 भूमि रहेगी।
- कैलाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/3 जाति पुरोहित सा0 देह, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/3 जाति पुरोहित सा0 देह, पपली पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/3 जाति पुरोहित सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6843/3 रकबा 0.1766 हे0 भूमि रहेगी।
- सुरेश कुमार पुत्र महादेव जाति पुरोहित, रहिन पी.एन.बी. शाखा गढवाडी के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6831/2 रकबा 0.1768 हे0 भूमि रहेगी।
- गोपाल पारीक पुत्र सत्यनारायण हि0 1/2 पुरोहित सा0 देह, गोविन्द पारीक पुत्र सत्यनारायण हि0 1/2 पुरोहित सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6826 रकबा 0.2000 हे0 भूमि रहेगी।
- कैलाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/8 जाति पुरोहित, पपली पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/8 जाति पुरोहित, बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/8 जाति पुरोहित, भगवान सहाय पुत्र

सहायक कलक्टर

भौरीलाल हि0 1/6 जाति पूरोहित, बनवारीलाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/6 जाति पूरोहित राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर, गोपाल पुत्र दुर्गासहाय हि0 1/6 जाति पूरोहित, सुरेश कुमार पुत्र महादेव हि0 1/6 जाति पूरोहित राहिन पी.एन.बी. शाखा गठवाडी, हनुमानसहाय पुत्र भौरीलाल हि0 1/6 जाति पूरोहित के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6825 रकबा 0.2000 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.2000 है0 भूमि रहेगी।

- कन्हैयालाल पुत्र जयनारायण हि0 1/6 जाति ब्रा0, महेश कुमार पुत्र जयनारायण हि0 1/6 जाति ब्रा0, भरपाई देवी पत्नी मालीराम हि0 1/18 ब्रा0, योगेश पुत्र मालीराम हि0 1/18 ब्रा0, रेखा पुत्री मालीराम हि0 1/18 ब्रा0, रामनिवास पुत्र रामस्वरूप हि0 1/2 ब्रा0 के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6835 रकबा 0.0600 है0, 6844 रकबा 0.1700 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2300 है0 भूमि रहेगी।
- ओमप्रकाश पारीक पुत्र हनुमान सहाय ब्रा0 हि0 20/139, गजानन्द पुत्र मदनलाल हि0 1/12 ब्रा0 राहिन पी.एन.बी. शाखा मनोहरपुर, गोपाल पारीक पुत्र सत्यनारायण पारीक ब्रा0 हि0 49/834, गोविन्द पारीक पुत्र सत्यनारायण पारी ब्रा0 हि0 49/834, घनश्याम पुत्र मदनलाल हि0 1/12 ब्रा0 राहिन एस.बी.आई. शाखा मनोहरपुर, पुरूषोत्तम पुत्र भंवरलाल हि0 1/6 ब्रा0, मोहनलाल पुत्र ब्रदीनारायण हि0 1/3 ब्रा0, शांति देवी पत्नी ओमकार हि0 10/139 ब्रा0 के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 6811 रकबा 0.3900 है0, 6814 रकबा 0.6000 है0, 6815 रकबा 0.4000 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3900 है0 भूमि रहेगी।
- हाल जमाबंदी के खाता संख्या 119 के ख0 नं0 6807/0.1200, 6808/0.2600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3800 है0 मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा।
- विशेष निर्देश :– प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकार सहमत है व सहमति उपरांत दावा अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है परन्तु कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि खाता संख्या 142 ग्राम भीखावाला में कैलाश, बाबूलाल पि0 कन्हैयालाल ब्राह्मण हि0 1/24, बनवारीलाल पुत्र भौरीलाल ब्राह्मण हि0 1/24, गोपाल पुत्र दुर्गासहाय हि0 1/24, सुरेश दत्तक पुत्र महादेव ब्राह्मण हि0 1/24 उक्त खाते में प्रार्थीयों का हिस्सा 1/6 बनता है, ग्यारसी पत्नी भंवरसिंह हि0 1/48, प्रभाती देवी पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/192, बंशीधर, भंवरसिंह, रतनलाल, राजेन्द्र कुमार, सीताराम, हरिलाल पि0 कन्हैयालाल हि0 6/192, संतोषी देवी पुत्री कन्हैयालाल हि0 1/192, शान्ति पत्नी रमेश कुमार हि0 1/48 उक्त खातेदारान् के हिस्से में 0.5983 है0 भूमि हिस्से से अधिक है। खाता संख्या 119 ग्राम भीखावाला हाल जमाबंदी के अनुसार यथावत रहेगा। खाता संख्या 118 में अन्नपूर्णा, उम्मेद पुत्रीयान ओमकार, शान्ति देवी पत्नी ओमकार के नाम 0.21 है0 भूमि है परन्तु इसका कब्जा खाता संख्या 6 की भूमि पर है, खाता संख्या 6 में इनके हिस्से में 0.21 है0 भूमि तकास्में में अधिक आई है। खाता संख्या 138, 140, 104, 94 जमाबंदी अनुसार यथावत रहेगा।
- ग्यारसी देवी पत्नी भंवरसिंह हि0 1/12, बंशीधर, भंवरसिंह, रतनलाल, राजेन्द्र कुमार, सीताराम, हरिलाल पि0 कन्हैयालाल, प्रभाती देवी, सन्तोष देवी पुत्रीया कन्हैयालाल हि0 8/48, शान्ति पत्नी रमेश कुमार हि0 1/12 जाति जाट इनका सबका हि0 3/16 हो गया जिनके हिस्से में 0.49 है0 भूमि आती है, जिसके बदले खाता संख्या 142 में 0.49 है0 भूमि अधिक दी गई। सुरेश कुमार दत्तक पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण को 0.1225 है0

सहायक कलेक्टर

भूमि हिस्से से अधिक दी गई। बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण को 0.1225 है0 भूमि अधिक दी गई। गोपाल पुत्र दुर्गासहाय जाति ब्राह्मण एवं कैलाश पुत्र कन्हैयालाल को क्रमश : 0.1225, 0.1225 भूमि अधिक दी गई।

उक्त निर्णय का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद संबंधित पक्षकारान् के हिस्से में आई हिस्से से अधिक भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क डीएलसी दर अनुसार संबंधित पक्षकार से राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत किया जाना है।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 20/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) सत्यमेव जयते

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	